हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/2/2021 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा०पत्र के पत्रावली दिनांक 26/2/2021 को पेश हो।

26/2/2021 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप० प्रा०पत्र बहस हेतु पत्रावली दि. 5/3/2021 को पेश हो।

05.03.2021 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक वाद पत्र अंतर्गत धारा 92A. राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955, वादिया द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादिया बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादिया को वादग्रस्त भूमि से जबरन एवं बेजा तौर से बेदखल नहीं करे। प्रतिवादिया द्वारा अपने जीवनकाल में ही इस आशय का वाद अंतर्गत धारा 183, राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 दायर कर दिया गया था, जो वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अत: वकील वादी के निवेदन पर एवं O12 R6 CPC के तहत यह वाद इस आदेश के तहत निर्णित किया जाता है कि वादिया को वादग्रस्त भूमि से विधिक प्रक्रिया के तहत ही बेदखल किया जावे। इस निर्णय का बेदखली के विचाराधीन वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner